न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर
पीठासीन अधिकारी :– कीर्ति राठौड़, आर॰ए॰एस॰

प्रकरण संख्या 129/2024 (उदयपुर डिक्की)

बाबूलाल डांगी पिता तुलसीराम जी डांगी, निवासी रूपावली, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)

..... अपीलान्ट

बनाम

1. श्रीमती मिठू बाई पुत्री भंवरलाल जी डांगी पत्नी डालचन्द जी डांगी, निवासी कुलमी का चौराहा, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)
2. भंवरलाल डांगी पिता नारायण जी डांगी, निवासी भुपालपुरा, वल्लभनगर, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)

.....रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा – 223 राजस्थान
काश्त॰ अधि॰ – 1955 विरूद्ध निर्णय व
डिक्की उपखण्ड अधिकारी वल्लभनगर दि.
06.05.2024, प्रकरण संख्या 62/2014

———/———

उपस्थित :– 1– श्री अली मोहम्मद सिंधी अभिभाषक अपीलान्ट
2– श्री भूपेन्द्र कुमार मेनारिया अभिभाषक रे.सं. 1

———::———

निर्णय **दिनांक 18–03–2025**

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में हाल रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 ने एक वाद बाबत् अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम वल्लभनगर में आराजी नंबर 5839 रकबा 0.1000 हैक्टर भूमि स्थित है, जिसमें वादिया के पिता प्रतिवादी संख्या 1 भंवरलाल का 1/8 हिस्सा राजस्व रेकार्ड में दर्ज है। उक्त भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम विरासत से नारायणलाल जी से आयी है, जिसमें वादिया का जन्म से हक व अधिकार है। अतः वादिया को

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.04.15 15:03:58 IST
Reason: SelfAttested

आराजी नंबर 5839 रकबा 0.1000 हैक्टर भूमि में 1/16 हिस्से का खातेदार घोषित किया जावे।

प्रतिवादी संख्या 1 ने जवाबदावा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादिया मेरी पुत्री है। अतः वाद डिक्री किये जाने में उन्हें कोई आपत्ति नहीं है।

अधीनस्थ न्यायालय ने अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनकर दिनांक 06–05–2024 को वादिया का वाद स्वीकार कर डिक्री जारी की, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट द्वारा दिनांक 08–11–2024 को यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये गये, जिस पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 की ओर से अभिभाषक श्री भूपेन्द्र कुमार मेनारिया उपस्थित हुए। अपीलान्ट की ओर से अधिवक्ता श्री मुकेश मेनारिया उपस्थित हुए। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया जाकर अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

अभिभाषक अपीलान्ट ने धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलान्ट अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकार नहीं थे, जिससे उन्हें निर्णय व डिक्री की जानकारी नहीं थी। अपीलान्ट का भाई हीरालाल व लोगर के साथ जमाबन्दी की नकल निकालवाने गये तो उक्त निर्णय व डिक्री की जानकारी हुई। अतः देरी को क्षमा किया जाकर अपील अन्दर मयाद शुमार की जावे। ताईद में शपथ पत्र प्रस्तुत किया।

उक्त बहस का खण्डन करने हुए अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट ने बताया कि अपील 6 माह विलम्ब से प्रस्तुत की गयी है एवं देरी का कोई उचित एवं पर्याप्त कारण अपीलान्ट ने नहीं बताया है। अतः अपील बेरून मयाद होने से मात्र इसी आधार पर खारिज की जावे।

हमने बहस पर मनन कर पत्रावली का अवलोकन किया। चूंकि अपीलान्ट अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकार नहीं था। ऐसी स्थिति में पूर्व में उन्हें उक्त निर्णय व डिक्री की जानकारी हो, ऐसी कोई साक्ष्य पत्रावली के रेकार्ड पर नहीं है। अतः प्रकरण में गुणावगुण पर निर्णय करने के दृष्टिगत न्यायहित में मयाद कण्डोन की जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.04.15 15:03:58 IST
Reason: SelfAttested

अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः वक्त बहस दोहराते हुए बताया कि विवादित आराजी नंबर 5839 रकबा 0.1000 हैक्टर में से 60 बाई 30 फिट अर्थात 1800 वर्गफिट के भूखण्ड का विक्रय इकरार रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 ने अपीलान्ट के साथ दिनांक 15–01–2010 को कर रखा है, जिसकी पालना में रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 स्पेशिफिक परफोरमेन्स के तहत संविदा की पालना अपीलान्ट के हक में होता है, जो रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 व 2 की जानकारी में होकर प्रकरण ए.डी.जे. नंबर 5 उदयपुर में लंबित होकर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 की साक्ष्य में नियत है। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 व 2 ने कुटरचित पूर्वक बिना अपीलान्ट को पक्षकार बनाये वाद डिक्री करा लिया है, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने से अपास्त योग्य है। अतः अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री निरस्त फरमायी जावे।

उक्त बहस का खण्डन करते हुए रेस्पोन्डेन्ट के विद्वान अधिवक्ता ने बताया कि अपीलान्ट अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकार नहीं था, फिर भी बिना धारा 96 जा.दी. के उक्त अपील प्रस्तुत की है, जो सी.पी.सी. के प्रावधानों के विपरीत होने से इसी स्तर पर खारिज की जावे।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन कर पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलान्ट का कथन है कि विवादित आराजी नंबर 5839 रकबा 0.1000 हैक्टर में से 60 बाई 30 फिट अर्थात 1800 वर्गफिट के भूखण्ड का विक्रय इकरार रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 ने अपीलान्ट के साथ दिनांक 15–01–2010 को कर रखा है, जिसकी पालना में रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 स्पेशिफिक परफोरमेन्स के तहत संविदा की पालना अपीलान्ट के हक में होता है, जो रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 व 2 की जानकारी में होकर प्रकरण ए.डी.जे. नंबर 5 उदयपुर में लंबित होकर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 की साक्ष्य में नियत है। वादिया/रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 को उक्त तथ्य की जानकारी होने के बावजूद भी अपीलान्ट को पक्षकार नहीं बनाया गया है। प्रकरण में यह सुस्पष्ट है कि रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 की पुत्री है, जिसने अपने पिता के विरूद्ध उसके हिस्से में से 1/2 हिस्से की घोषणा चाही, जिस पर प्रतिवादी/रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 ने अपनी सहमति दी, जिसके आधार पर वादी/रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1

Signature Not Verified

Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.04.15 15:03:58 IST
Reason: SelfAttested

का वाद अधीनस्थ न्यायालय ने स्वीकार करते हुए उसे उसके पिता के 1/8 हिस्से में से आधे हिस्से का अर्थात 1/16 हिस्से का खातेदार घोषित कर दिया, जो संदेहात्मक प्रकट होता है, क्योंकि जब स्वयं पिता आधा हिस्सा अपनी पुत्री को देने हेतु सहमत था तो फिर पुत्री को दावा लाने की जरूरत ही क्यों पड़ी, जबकि वह अपने पिता की एकलौती संतान है। हालांकि अपीलान्ट अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकार नहीं था तो ऐसी स्थिति में उसे धारा 96 जा.दी. का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान करनी थी, किन्तु प्रकरण में यह भी सुस्पष्ट है कि रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 व 2 आपस में पिता पुत्री होकर मिली भगत के आधार पर डिक्री प्राप्त की है। अपीलान्ट ने हालांकि अपीलान्ट ने स्पेशिफिक परफोरमेन्स के तहत संविदा की पालना का वाद ए.डी.जे. नंबर 5 उदयपुर में लंबित होने बाबत् कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है, किन्तु उनके इस कथन का रेस्पोन्डेन्ट द्वारा कोई खण्डन भी नहीं किया गया है। तद्नुसार अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री प्रथम दृष्टया त्रुटि पूर्ण होने से अपास्त योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 06–05–2024 अपास्त की जाती है तथा पत्रावली अधिनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि प्रकरण में अपीलान्ट को प्रतिवादी संख्या 3 के रूप में संस्थित कर उन्हें साक्ष्य सबूत प्रस्तुत करने का अवसर देकर हमारे द्वारा उपरोक्त किये गये विवेचन को दृष्टिगत रखते हुए साक्ष्य सबूतों के आधार पर पुनः नये सिरे से निर्णय पारित करें। पक्षकारान अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 12–05–2025 को उपस्थित रहें। निर्णय आज दिनांक 18–03–2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटायी जावे। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

(कीर्ति राठौड़)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.04.15 15:03:58 IST
Reason: SelfAttested